संख्या 500 /XVII-5/2018-09(17)/2004-TC-1

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/** सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) **मण्डलायुक्त,** गढवाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

(iii) **समस्त जिलाधिकारी,** उत्तराखण्ड।

(iv) **समस्त विभागाध्यक्ष,** उत्तराखण्ड।

(v) **प्रबन्ध निदेशक,** उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण विभाग **देहरादून : दिनांक 10 मई, 2018**

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों के नियत मानदेय का पुनरीक्षण।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 'उपनल' के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों का नियत मानदेय एवं सेवा शर्तें निर्धारित की गई थी। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार उपनल द्वारा प्रायोजित समस्त कार्मिकों के समस्त देयकों को सम्मिलित करते हुए देय मानदेय में रू0 1500/–(in hand) प्रतिमाह श्रेणीवार प्रति कार्मिक को मानदेय वृद्धि तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ हैः–

(धनराशि रू0 में)

क. सं.	मानदेय/कटौती का विवरण	अकुशल	अर्द्ध कुशल	कुशल	उच्च कुशल	अधिकारी
1	Basic Wages	6960	8008	8892	9892	29675
2	Gratuity 4.81% of Ser No 1	335	385	428	476	0
3	House Allowance 10% of Ser 1	696	801	889	989	0
4	Clothing Allowance 10% of Ser 1	696	801	889	989	0
5	Bonus 8.33% of Rs 7000	583	583	583	583	0
6	**Total (Ser 1 to 5)**	**9270**	**10578**	**11681**	**12929**	***29675***
7	EPF 13.15% of Ser 1 (Employer Share)	915	1053	1169	1301	0
8	ESIC 4.75% of Ser 6 (Where Applicable)	440	502	555	614	0
9	***Total (Ser 6+7+8)***	***10625***	***12133***	***13405***	***14844***	***29675***

GO UPNAL 2016

Statury Deductions

10	EPF 13.15% of Ser 1 (Employer Share)	915	1053	1169	1301	0
11	ESIC 4.75% of Ser 6 (Where Applicable)	440	502	555	614	0
12	EPF 12% (Employee,s Share)	835	961	1067	1187	0
13	ESIC 1.75% of Ser 6 Employee,s Share (Where Applicable)	139	159	175	194	0
14	***Total Deductions(Ser 10+11+12+13)***	***2329***	***2675***	***2966***	***3296***	***0***
15	**Net in hand to Employee (Ser 9-14)**	**8296**	**9458**	**10439**	**11548**	**29675**
16	Leave Relief 28.98% of Ser No 9(Where applicabe)					
17	Service Charge 2.5% of Ser 9	266	303	335	371	742
18	**Total (Ser 9+17)**	**10891**	**12436**	**13740**	**15215**	**30417**
19	GST 18% of Ser 18	1960	2238	2473	2739	5475
20	**Total Payable by Principal Employer(Ser No 18+19)**	**12851**	**14674**	**16213**	**17954**	**35892**

2. मुख्य नियोक्ता विभाग (Principal Employer) बिना टी0डी0एस0 कटौती के, उपनल को पूर्ण राशि का भुगतान करेंगे। उपनल अग्रिम आय कर जमा कराने एवं अन्य सभी प्रकार के अनिवार्य शुल्क (Statutory dues) जमा करने के लिए पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।

3. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थाओं/निगमों आदि के लिए ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होगी।

4. सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।

5. यदि राज्य सरकार द्वारा सातवे वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार किया जाता है तो उक्त वृद्धि को उसमें समाहित मान लिया जायेगा तथा भविष्य में अन्य कोई वृद्धि पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. उपनल के कार्मिकों को यात्रा/दैनिक भत्ता, कार्यरत विभाग के समतुल्य पद के सापेक्ष देय होगा। इस पर किसी प्रकार का सर्विस चार्ज/सर्विस टैक्स देय नही होगा।

7. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधान के अनुसार निविदा आमन्त्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात् नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे कार्मिक प्राप्त कर प्रायोजित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–595/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 09 जून, 2016 व शासनादेश संख्या–685/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या–424/XVII-5/18-06(02)/2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुमन्य हो), 03 राष्ट्रीय अवकाश (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस) 12 दिन आकस्मिक और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होंगे, किन्तु यदि कार्यालय अवकाश के दिन भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते है तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें।

9. चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न मेडिकल कालेजों यथा हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय आदि एवं अन्य संस्थाओं यथा उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम, डी0पी0एम0यू0 (स्वजल परियोजना), आई0टी0डी0ए0, विद्युत नियामक आयोग, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद्, वन विकास निगम, टिहरी विशेष विकास प्राधिकरण आदि में उपनल के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को मानदेय भुगतान में शासनादेश संख्या--625/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 16 जून, 2016 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–649/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 22 जून, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या--323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

11. उक्तानुसार उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) द्वारा उपनल के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित नियत मानदेय के संबंध में मुख्य नियोक्ता एवं शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–650(1)/XXVII(1)/2018–19, दिनांक 10 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या (1)/XVII-5/2018-09(17)2004-TC-1 : तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।